

'बुद्धिजीवियों का राजनीतिक सोच व आकलन जनता के आकलन से मेल नहीं खाता'

अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों ने बेमेल राजनीति की विडम्बना को उजागर किया

-अंजन रंग-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 6 नवम्बर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डॉनल्ड ट्रम्प की सफ्ट जीत, अमेरिका की राजनीति में, चरम

गए।

डॉनल्ड ट्रम्प ने, बढ़ते इमिग्रेशन को सेकर औसत अमेरिकी नागरिक के भय का लाभ उठाया। जिसके कारण लोगों में अर्थिक असुरक्षा की भावना जीत, अमेरिका की राजनीति में, चरम

- अमेरिका के मीडिया ने ही नहीं, पाश्चात्य देशों के मीडिया ने जमकर, बिना हिचक ट्रम्प का विरोध किया था, और कमला हैरिस का समर्थन, पर जनता की भावना इससे अलग थी।
- ट्रम्प ने एक साधारण श्वेत अमेरिकी के मन में विदेशियों के भारी आगमन से जनति भय व असुरक्षा की भावना को खुल भड़काया और अन्त में भारी राजनीतिक लाभ उठाया।
- इसी प्रकार, ट्रम्प ने आम मतदाता के मन में यह भर दिया कि, अमेरिकी इकॉनमी की हालत खस्ता है। यह सच नहीं है, अमेरिकी इकॉनमी 3 प्रतिशत रेट से बढ़ रही है, जो बूप्रतिष्ठित मैगज़ीन द इकॉनमिस्ट के अनुसार ऐतिहासिक उपलब्धी है। खस्ता इकॉनमी की 'खबर' ने भी आम मध्यम वर्ग अमेरिकी के मन में बैचैनी पैदा की, जिसे भी ट्रम्प ने बख्ती, होशियारी से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए काम में लिया। आम श्वेत अमेरिकी नागरिकों में व्यापार निराशा की भावना भी ट्रम्प के लिए मददगार साबित हुई।

दक्षिणपंथी नीतियों तथा रुद्धिवाद की पैदा हो गई है, जो वो कितनी भी गलत पूर्णता है। उदाहरणीय मूल्य, कट्टर विकसित देशों में अमेरिका की



डॉनल्ड ट्रम्प की जीत ने अमेरिका के बुद्धिजीवियों व प्रतकारों को निरुत्तर कर दिया।

अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तथा ऊंची व्याज दरों के बावजूद, जानी-मानी पत्रिका 'इकॉनमिस्ट' ने उसकी गोप्य को "प्रीवटी डिफाइंग दोहराने, तेल तथा कुछ खाद्य पदार्थों के एक्सप्लाईंस" कहा था। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्तन तक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिना पूर्व सूचना घर नहीं तोड़ सकती सरकार'

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो -
नई दिल्ली, 6 नवम्बर सुप्रीम कोर्ट ने, योगी सरकार द्वारा उचित प्रतिक्रिया का पालन किए बिना घरों को तोड़ने के युद्ध पर उत्तर प्रदेश को आज आड़े हाथों लिया और कहा कि राजनीति घरों को घर बाहरी नीति किया जा सकता। परिवारों को घर खाली करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश,

शी. वाय. चंद्रचूड़ की अधिक्षता वाली बैंच, सन् 2020 के ख्यत, पंजाब के एक केस में सुनवाई कर रही थी। इस केस का आधार मनोज टिबरेवाल आकाश नामक एक व्यक्ति का एक पत्र

■ सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 के एक मामले में यू.पी. सरकार को फटकारा और कहा कि ऐसा करना गैर कानूनी है।

था। इस व्यक्ति का मकान 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। याचिकाएँ का कहना है कि उनका मकान, एक राजमार्ग पर कथित अतिक्रमण को लेकर, बिना कोई पूर्व सूचना दिये, द्वा

दिया गया था।

इस केस की सुनवाई का नम्बर, संयोगवश, ऐसे समय पर आया, जब सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य बैंच

'बुलडोजर जरिस्ट' को चुनौती देने

वाली याचिकाओं को सुनवाई कर रही है। जातिय्य है कि 'बुलडोजर जरिस्ट'

को चुनौती देने

वाली याचिकाओं को चुनौती देने